फर्द अहकाम

राजसोनु बनाम आशीष व अन्य

नाम न्यायालय AC

केस संख्या- [illegible] - 189/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्रावली आज दिनांक .... को पेश हुई वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/प्रतिवादी उपस्थित हुये। पत्रावली .... कार्यवाही/प्रा.जवाब/ .... नुसार कार्यवाही हेतु दिनांक .... को पेश हो।
	3/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० कार्यालय तहसीलदार [illegible] के पत्रांक क्रमांक/भू.रेकार्ड/2024/1094 दिनांक 20/9/24 [illegible] प्राप्त हुआ। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 8/10/24 को पेश हो।
	8/10/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी मैसर्स अभिनन्दन डवलपर्स की ओर से अधिवक्ता मनोज चौधरी द्वारा वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि वादी द्वारा स्वयं के हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात का बेचान प्रार्थी को किया जा चुका है व प्राप्त कुर्रेजात की नाप [illegible] भी प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को वादी के रूप में पक्षकार बनाया जावे। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रा.पत्र [illegible]

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

राजसोनु बनाम आशीष व [illegible]

189/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

[illegible] TDR [illegible] 0/R/0 [illegible]

8/10/24 [illegible]

फर्द अहकाम

न्यायालय AC-II राजसिंह बनाम श्री आशीष व अन्य

दावा- 169/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया TDR [illegible] द्वारा प्राप्त [illegible] के [illegible] के पश्चात वादी के नाम अंकित भूमि में प्रार्थी को [illegible] जावर [illegible] [illegible] है। अतः भूमि का बेचान वादी द्वारा प्रार्थी को किया जा चुका है [illegible] में प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र O1 R10 स्वीकार कर प्रार्थी को वादी के रूप में पक्षकार बनाया जाता है वादी ने प्राप्त [illegible] स्वीकार कर अन्तिम डिक्री [illegible] निवेदन किया बहस उपरांत [illegible] अवलोकन किया व वादी [illegible] का अवलोकन [illegible] शा. द्वारा प्रस्तुत [illegible] [illegible] अभाव किया। अतः [illegible] में प्राप्त [illegible] [illegible] का वाद विरुद्ध प्रतिवादी [illegible] निर्णय डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल मिसल पृथक से [illegible] [illegible] है, पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निर्णय आज दिनांक [illegible] इजलास सुनाया गया। 8/10/24 को [illegible] सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर	

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी – गौरव बांकावत आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/189

1. राजसोनू फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स एल.एल.पी. पता–"जांगिड भवन" एम.आई. रोड, जयपुर, जिला–जयपुर जरिये साझेदार श्री किशनचन्द डागा पुत्र श्री उमरावचन्द डागा, आयु 70 वर्ष, निवासी–नीलमगिरी गॉर्डन, अजमेर रोड, जयपुर।
2. अभिनन्दन इन्फ्रा डेवलपर्स जरिये भागीदार श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा, निवासी–ग्राम असरपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. आशीष पुत्र रामचन्द्र
2. कमला पत्नि रामचन्द्र
3. महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र
4. कैलाश चन्द पुत्र छीतरलाल
5. जगदीश प्रसाद पुत्र छीतरलाल
6. बंशीधर पुत्र छीतरलाल
7. गोपाल पुत्र भंवरलाल
8. रतन पुत्र भंवरलाल
9. रामधन पुत्र भंवरलाल
10. रामेश्वर पुत्र भंवरलाल
11. राजेन्द्र चौधरी पुत्र हनुमान
12. पुष्पा देवी पुत्री हनुमान
13. फूली देवी पत्नि स्व0 हनुमान
14. सुनिता देवी पुत्री हनुमान
15. हिरा देवी पुत्री हनुमान

समस्त निवासी–ग्राम बगरू रावान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

16. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वि...

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण
वादी : श्री पुरूषोत्तम शर्मा

दावा बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–08.10.2025

वादी की ओर से वाद बाबत् भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया जिसका वृतान्त विवरण निम्न प्रकार से है :– अविभाजित कृषि भूमि आराजी खाता संख्या 64 नया 25 पुराना में खसरा नम्बर 543 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 544 रकबा 0.4200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0. 7800 हैक्टेयर वाके जमाबन्दी ग्राम–बगरू रावान, पटवार हल्का–अवानिया, भू.अ. नि. क्षेत्र बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी का अविभाजित हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का अविभजित हिस्सा 1/36–1/36, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक का अविभाजित हिस्सा 1/18–1/18, तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रत्येक का 1/12–1/12 तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 प्रत्येक का अविभाजित हिस्सा 1/60–1/60 निहित है।, इसी प्रकार खाता संख्या 69 नया 23 पुराना में खसरा नम्बर 546 रकबा 0. 26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 547 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584 रकबा 0. 02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 585 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0. 58 हैक्टेयर वाके जमाबन्दी ग्राम–बगरू रावान, पटवार हल्का–अवानिया, भू.अ.नि. क्षेत्र बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी का अविभाजित हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का अविभाजित हिस्सा 1/72–1/72. प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक का अविभाजित हिस्सा 1/12–1/12. तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रत्येक का 1/24–1/24 तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 प्रत्येक का अविभाजित हिस्सा 1/120–1/120 निहित है। इसी प्रकार खाता संख्या 68 नया 24 पुराना में खसरा नम्बर 526 रकबा 0.14 हक्टेयर, खसरा नम्बर 527 रकबा 0.2284 हैक्टेयर खसरा नम्बर 533 रकबा 0. 0400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 534 रकबा 0.2900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 542 रकबा 0.3600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 545 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 549 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 551 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 586 रकबा 0. 2700 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 1.9684 हैक्टेयर वाके जमाबन्दी ग्राम–बगरू रावान, पटवार हल्का–अवानिया, भू.अ.नि. क्षेत्र बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 का राजस्व रिकार्ड के मुताबिक अविभाजित हिस्सा 1/6 दर्ज एवं अंकित है। उक्त

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

भूमि में से खसरा नम्बर 542 रकबा 0.3600 हैक्टेयर में हिस्सा 1/6 भाग की भूमि को जिसे प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.07.2024 के द्वारा वादी को बैचान कर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है। विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से 1/6 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज होना शेष है लेकिन विक्रय पत्र के आधार पर समस्त प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से बाबत वादी में निहित चले आ रहे है। इस प्रकार वादी का उक्त आराजी में अविभाजित हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का अविभजित हिस्सा 1/36–1/36, प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 प्रत्येक का अविभाजित हिस्सा 1/6–1/6, तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रत्येक का 1/12–1/12 तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 प्रत्येक का अविभाजित हिस्सा 1/60–1/60 निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 द्वारा आपसी मनबट के आधार पर वादग्रस्त आराजियात का विभाजन कर रखा है। जिसके अनुसार वादी खसरा नम्बर 542 के रकबा 0.3050 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 543 के रकबा 0.3050 हैक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 0.6100 हैक्टेयर पर वादी काबिज–काश्त होकर भूमि का उपयोग एवं उपयोग करता आ रहा है। तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 542 के रकबा 0.0550 हैक्टेयर व एवम् खसरा नम्बर 544 रकबा 0.4200 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 546, 547, 584 व 585 के रकबा 0.5800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 543 के रकबा 0.0550 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 1. 0550 हैक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 काबिज–काश्त चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि पर वाद की मद संख्या 2 में वर्णितानुसार भूमि पर मनबट के आधार पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु वादग्रस्त भूमि का आज दिनांक तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य काबिज अवस्थानुसार विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि के सह–काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 का उक्त भूमि में संयुक्त हक एवं हिस्सा निहित है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 से वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णितानुसार मनबट के आधार पर किये गये विभाजन एवं काबिज अवस्थानुसार विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया जाता आ रहा है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं करवा रहे है तथा बार–बार निवेदन करने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 वादी को कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 दिनांक 19–9–202पको अपने साथ अन्य चार–पांच व्यक्तियों को लेकर वादी के कब्जे काश्त की. भूमि पर आये तथा वहां आकर वादी के प्रतिनिधियों को उक्त काबिज अवस्थानुसार भूमि से कब्जा हटाने अन्यथा बुरे परिणाम भुगतने की धमकियां दी गई इस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 को ऐसा नहीं करने तथा वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णितानुसार मनबट के अनुसार किये गये विभाजन के अनुरूप विधिवत तकासमा करवाने हेतु कहा गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 नहीं माने तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 व उसके साथ आये अन्य व्यक्तियों द्वारा वादी को यह धमकी दी गई की वह वादग्रस्त भूमि का कोई विधिवत विभाजन नहीं करवायेंगे तथा बिना विधिवत विभाजन के ही जोर–जबरन

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

असामाजिक तत्वों के सहारे वादी की कब्जेशुदा भूमि से उसका कब्जा हटाकर स्वयं कब्जा करके रहेंगे। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 को ऐसा करने का कोई कानूनन हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं है, अपितु वादी वादग्रस्त भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णितानुसार तथा काबिज अवस्था अनुसार जरिये माननीय न्यायालय विधिवत विभाजन करवा पाने का अधिकारी है एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के भी अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 वादग्रस्त भूमि का जरिये माननीय न्यायालय वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णितानुसार व काबिज अवस्था अनुसार विभाजन किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार की कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं करें, वादी को उसकी कब्जे–काश्त की भूमि के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा या मजाहमत पैदा नहीं करें, वादी को जोर–जबरन उसकी कब्जे–काश्त की भूमि से बेदखल नहीं करें। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 की उक्त बेजा कार्यवाही से पीडित होकर उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 19.09.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 द्वारा वादी की कब्जे–काश्त की भूमि से वादी को जोर–जबरन बेदखल करने की दी गई धमकी से उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 डिक्री किया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णितानुसार व काबिज अवस्था अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाता एवं लगान कायम किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 वादग्रस्त भूमि का जरिये माननीय न्यायालय वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णितानुसार व काबिज अवस्था अनुसार विभाजन किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार की कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं करें, वादी को उसकी कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा या मजाहमत पैदा नहीं करें, वादी को जोर–जबरन उसकी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नहीं करें। ऐसा ना तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं ही करें ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से ही करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अन्डरटेकिंग दी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व 10 लगायत 16 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 9 को वकालतनामा पेश करने हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी वकालतनामा पेश नही करने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विचाराधीन वाद में वकील वादी ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात हाल जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात में सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांक तक विधिवत विभाजन नही हुआ है इसलिए वाद में विभाजन किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 64 पुराना 25 के खसरा नंबर 543 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 544 रकबा 0.4200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.7800 हैक्टेयर एवम् खाता संख्या 69 नया 23 पुराना में खसरा नम्बर 546 रकबा 0. 26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 547 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 585 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 68 नया 24 पुराना में खसरा नम्बर 526 रकबा 0.14 हक्टेयर, खसरा नम्बर 527 रकबा 0.2284 हैक्टेयर खसरा नम्बर 533 रकबा 0. 0400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 534 रकबा 0. 2900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 542 रकबा 0.3600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 545 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 549 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 551 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 586 रकबा 0. 2700 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 1.9684 हैक्टेयर वाकै ग्राम बगरू रावान पटवार हल्का अवानिया भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायाल में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 9094 दिनांक 26.09.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई जो निम्नानुसार है :–

जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार दर्ज खातेदार :–

क्र. सं.	खाता नंबर	खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
01	64	आशीष पुत्र रामचन्द्र हि. 1/36 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, कमला पत्नि रामचन्द्र हि. 1/36 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, कैलाशचन्द पुत्र छीतरलाल हि. 1/18 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार गोपाल पुत्र भंवरलाल हि. 1/12 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, जगदीश प्रसाद पुत्र छीतरलाल हि. 1/18 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, पुष्पा देवी पुत्री हनुमान हि. 1/60 जाति जाट सा. देह खातेदार, फूली देवी पत्नि हनुमान हि. 1/60 जाति जाट सा.देह खातेदार, बंशीधर पुत्र छीतरलाल हि. 1/18 जाति जाट सा.	0543 544	0.3600 0.4200	चाही 1 चाही 1

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

		अवानिया खातेदार, मैसर्स अभिनन्दन इंफ्रा डवलपर्स हि. 1/3 सा. बी–147, 10 बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर खातेदार महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र हि. 1/36 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, रतनलाल पुत्र भंवरलाल हि. 1/12 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, राजेन्द्र चौधरी पुत्र हनुमान हि. 1/60 जाति जाट सा.देह खातेदार रामधन पुत्र भंवरलाल हि. 1/12 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, रामेश्वर पुत्र भंवरलाल हि. 1/12 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, सुनिता देवी पुत्री हनुमान हि. 1/60 जाति जाट सा0देह खातेदार, हीरा देवी पुत्री हनुमान हि. 1/60 जाति जाट सा0देह खातेदार			
		कुल	02	0.7800	
2	68	आशीष पुत्र रामचन्द्र हि. 1/36 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, कमला पत्नि रामचन्द्र हि. 1/36 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, कैलाशचन्द पुत्र छीतरलाल हि. 1/6 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, जगदीश प्रसाद पुत्र छीतरलाल हि. 1/6 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, पुष्पा देवी पुत्री हनुमान हि. 1/60 जाति जाट सा0देह खातेदार फूली देवी पत्नि हनुमान हि. 1/60 जाति जाट सा0देह खातेदार, बंशीधर पुत्र छीतरलाल हि. 1/6 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र हि. 1/36 जाति जाट सा अवानिया खातेदार, रतनलाल पुत्र भंवरलाल हि. 1/12 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, राजेन्द्र चौधरी पुत्र हनुमान हि. 1/60 जाति जाट सा. देह खातेदार, रामधन पुत्र भंवरलाल हि. 1/12 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, रामेश्वर पुत्र भंवरलाल हि. 1/12 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, सुनिता देवी पुत्री हनुमान हि. 1/60 जाति जाट सा0देह खातेदार, हीरा देवी पुत्री हनुमान हि. 1/60 जाति जाट सा0देह खातेदार	526 527 533 534 542 545 549 550 551 586	0.1400 0.2284 0.0400 0.2900 0.3600 0.1800 0.4000 0.0400 0.0200 0.2700	
		कुल	10	1.9684	
3	69	आशीष पुत्र रामचन्द्र हि. 1/72 जाति जाट सा, अवानिया खातेदार, कमला पत्नि रामचन्द्र हि. 1/72 जाति जाट			

Scanned with OKEN Scanner

		सा0 अवानिया खातेदार, कैलाशचन्द पुत्र छीतरलाल हि. 1/12 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, गोपाल पुत्र भंवरलाल हि. 1/24 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, जगदीश प्रसाद पुत्र छीतरलाल हि. 1/12 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, पुष्पा देवी पुत्री हनुमान हि. 1/120 जाति जाट सा0देह खातेदार, फूली देवी पत्नि हनुमान हि. 1/120 जाति जाट सा0देह खातेदार, बंशीधर पुत्र छीतरलाल हि. 1/12 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, मैसर्स अभिनन्दन इंफ्रा डवलपर्स हि. 1/2 सा. बी–147, 10 बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर खातेदार, महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र हि. 1/72, जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, रतनलाल पुत्र भंवरलाल हि. 1/24 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, राजेन्द्र चौधरी पुत्र हनुमान हि. 1/120 जाति जाट सा0देह खातेदार, रामधन पुत्र भंवरलाल हि. 1/24 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, रामेश्वर पुत्र भंवरलाल हि. 1/24 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, सुनिता देवी पुत्री हनुमान हि. 1/120 जाति जाट सा0देह खातेदार, हीरादेवी पुत्री हनुमान हि. 1/120 जाति जाट सा0देह खातेदार			
		कुल	04	0.5800	

प्रस्तावित कुर्रेजात :–

पक्षकार सं.	खातेदार का नाम वल्दीयत	ख.नं.	रकबा
01	मैसर्स अभिनन्दन इंफ्रा डवलपर्स हि. पूर्ण सा. बी–147, 10 बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर खातेदार	542 मि. 543 मि.	0.3050 0.3050
	योग	02	0.6100
02	आशीष पुत्र रामचन्द्र हि. 845/27184 जाति जाट सा. अवानिया खातेदार, कमला पत्नि रामचन्द्र हि. 845/27184 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, कैलाशचन्द पुत्र छीतरलाल हि. 3597/27184 जाति जाट सा0अवानिया खातेदार, गोपाल पुत्र भंवरलाल हि. 2532/27184 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, जगदीशप्रसाद पुत्र छीतरलाल हि. 4197/27184 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, पुष्पा देवी पुत्री हनुमान हि. 506/27184 जाति जाट सा0देह खातेदार, फूली	542 मि. 543 मि. 544 526 527 533 534 545 549 550	0.0550 0.0550 0.4200 0.1400 0.2284 0.0400 0.2900 0.1800 0.4000 0.0400

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

	देवी पत्नि हनुमान हि. 506/27184 जाति जाट सा0देह खातेदार, बंशीधर पुत्र छीतरलाल हि. 4197/27184 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र हि. 845/27184 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदा, रतनलाल पुत्र भंवरलाल हि. 2532/27184 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, राजेन्द्र चौधरी पुत्र हनुमान हि. 506/27184 जाति जाट सा0देह खातेदार, रामधन पुत्र भंवरलाल हि. 2532/27184 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, रामेश्वर पुत्र भंवरलाल हि. 2532/27184 जाति जाट सा0 अवानिया खातेदार, सुनिता देवी पुत्री हनुमान हि. 506/27184 जाति जाट सा0देह खातेदार, हीरादेवी पुत्री हनुमान हि. 506/27184 जाति जाट सा0देह खातेदार	551 586 546 547 584 585	0.0200 0.2700 0.2600 0.2700 0.0200 0.0300
	योग	16	2.7184

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में अधिवक्ता श्री मनोज चौधरी की ओर से वकालतनामा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपिठत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी द्वारा स्वयं के सम्पूर्ण हिस्से की आराजीयात का बेचान प्रार्थी को किया जा चुका है जिसकी सूचना प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सांगानेर को भी कुर्रेजात बनाये जाने से पूर्व दी गई थी और प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में भी वादी के स्थान पर प्रार्थी का अंकन है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को वादी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वास्ते आपत्ति नियत की गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः अनापत्ति के अभाव में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम जयपुर व इजलास गौरव बांकावत (आर.ए.एस.)

राजसोनू फार्मस एण्ड रिसोर्ट्स बनाम आशीष वगै.

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा / 2024 / 189

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....

.. खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.10.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
सहायक कलक्टर

ओहदा जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner